कंपनी के पूर्व सतर्कता विभाग में पदस्थ व्ही. के.शर्मा ने इस फर्जी टूर बिल घोटाले की जाँच सेन्सर टाइम्स में छपी रिपोर्ट के आधार पर की थी

मुख्य सतर्कता अधिकारी एन तोपदान क्या इस रिपोर्ट को अपने नैतिक दायित्व का पालन कर न्यायालय की जॉच में में प्रस्तुत करेगे

INVESTIGATION REPORT
HO/VKS/05/2004
CONFIDENTIAL

Our Ref : Indore/11/2004
20TH Jan, 2005

A. SOURCE OF COMPLAINT: Ministry of Finance, vigilance section (Insurance Division) vide their letter ref.No.-F 3/13/2004- Vig.(Ins) dated 06.12.2004, forwarded to us complaint made by Shri Raj Kumar Agrawal, alongwith enclosures for investigation and submitting detailed report to the Ministry.

B. NATURE OF ALLEGATIONS: Sh. Raj Kumar Aggarwa, State vice president, Art and Culture cell, M.P Congress committee, in his undated letter addressed to sh. Vinod Rai, IAS additional Secretary, insurance, has stated that Sh.B.K.Sarkar,Gereral Manager,of the Company based at HO, New Delhi, was allegedly involved in various scams running into lacs of rupees. In this connection, he referred to news item published in various newspapers including censortimes. It was stated that Sh.B.K.Sarkar had earlier worked as Regional Manager,RO,Indore, and he still considered himself RM of the same office. He allegedly coerced various official of RO Indore under the threat of transferring them was extorting money from them. The employees and the officials were under tension but are not able to speak to anyone in this regard. Sh. Aggarwal referred to the Hotel bill published in censor times pertaining to Sayaji Hotel, Indore, which needed high level investigation and till then Sh. Sarkar be transferred in any other department, lest he influenced the said investigation.

CONCLUSION.

From the above it can be observed that Sh.Ravi Kumar Potdar is in the habit of circulating his newspaper Consor times, the different person/authorities spreading canard against the top executives of the company. He has leveled serious allegation against Sh.B.K.Sarkar, GM, in respect of claiming manipulated Hotel Bill. He has publish the said bill in the censor times and circulated it to different authorities. The investigation has proved that the handwritten Bill was given by Hotel Sayaji, and they have owned the same. The said bill was conformity with the MOU between hotel and RO,Indore. The Hotel bill in question missing from Official record has found place in censor times. Inference can be drawn as to who has benefited from the same. Sh. RaviPotdar not only defamed company executives but also served a Legal Notice (E-12) on the Chief Vigilance Officer/CMD of the company for allegedly conniving with the concerned official and failing to take necessary action.Status of all the cases mentioned in the complaint has been brought on record.

Sd/-
(V.K.SHARM
ASSTT. MANAGER

राजकुमार अग्रवाल की शिकायत पर व्ही. क़े शर्मा ने की जाँ च की रिपोर्ट सूचना के अधिकार के तहत देने से इंकार कर यह लिखा कि मामला न्यायलय में विचाराधीन है

न्यायालय में आपराधीक प्रकरण लगाने वाले रवि कुमार ने इस फर्जी बिल घोटाले की जाँ च रिपोर्ट जिसे विजिलेंस विभाग के मेनेजर व्ही. के. शर्मा ने फर्जी तौर पर तैयार कर अधिकारीयों को बचाया था को न्यायीक जाँ च में प्रस्तुत करने के लिये सूचना के अधिकार के तहत मांगा.

कंपनी के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ने इस रिपोर्ट को सूचना के अधिकार के तहत देने से इस अधिकार के तहत देने से इस आधार पर इंकार कर दिया कि इस संबध में मामला न्यायालय में विचाराधीन है. इस मामले में जब अपील की तो अपीलीय अधिकारी ने भी इसी आधार पर इस रिपोर्ट को देने से इंकार कर दिया.

वर्तमान में यह मामला केन्द्रीय सूचना आयोग, नई-दिल्ली में है. कितने आश्चर्य का विषय है जिसने न्यायालय में प्रकरणआरोपी अधिकारीयों के विरुद्व लगाया है उसे ही अपने प्रकरण को प्रमाणित करने के लिये जाँच रिपोर्ट को इस आधार पर नहीं दिया जा रहा है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है तथा इस रिपोर्ट को देने से न्यायीक जाँ च में बाधा उत्पन्न होगी.

कंपनी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, डिप्टी जनरल मेनेजर एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी इस प्रश्नों का जवाब देगे.

०१. कंपनी के पूर्व जनरल मेनेजर बी.के. सरकार एवं कलकता में पदस्थ मेनेजर सी. वासुमतारी जिन्होंने होटल बील में हेराफेरी कर कूटरचित दस्तावेज बनाया एवं होटल सयाजी लिमिटेड के साथ मिलकर राज्य शासन और कंपनी को करोड़ों रुपयों की आर्थिक क्षति पहुँचाई. इस मामले की न्यायालय जाँच कर रहा है त्तो आप इस प्रकरण में सहयोग न कर जाँच में बाधा क्यों उत्पन्न कर रहे है ?

०२. न्यायालय ने बुलाये गये अपराध से संबंधीत दस्तावेज कहाँ व किसकी अभिरक्षा में है इस बारे में आपने युक्तियुक्त जवाब प्रस्तुत नही करने पर ही न्यायालय ने आपसे शपथ पत्र पर सही वस्तुस्थिती जानना चाहता है तो आपको शपथ पत्र देने का क्या आपत्ती है ?

०३. मुख्य सतर्कता अधिकारी का काम कंपनी में व्यापक रुप से फैले भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने का है. यदि मुख्य सतर्कता अधिकारी के विभाग ने इस आर्थिक घोटाले की शिकायत होने पर जाँच नहीं की तो इस बारे में शपथ पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा है. जबकी इस मामले की जाँच कंपनी के व्ही.के.शर्मा ने की थी ?

०४. नियमानुसार किसी भी याचिका जिसमें कंपनी पक्षकार नहीं है ऐसी स्थिती में यदि कोई याचिका प्रस्तुत करनी है तो इस संबंध में कंपनी के बोर्ड ऑफडायरेक्ट को रिजोल्यूशन पास करने के पश्चात याचिका या पुनरिक्षण किया जा सकता है. कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों ने जब इस संबध में कोई रिजोल्यूशन पास नहीं किया तो आप बिना किसी अधिकार के न्यायालय में रीविजन कैसे पेश कर सकते है ?

सूचना के अधिकार के तहत कंपनी के पेनल अधिवक्ता को दी गई फिस की जानकारी थर्ड पार्टी इर्फोमेशन बताकर देने से इंकार किया.

सेन्सर टाइम्स को विश्वस्त सूत्रों से यह जानकारी मिली कि कंपनी के पेनल अधिवक्ता रविनद्रसिंह छाबड़ा ने लगभग एक लाख सत्तर हजार रुपयों का बील कंपनी के कार्यालय में भेजकर उसका भुगतान करने के संबध में एक पत्र लिखा. जबकी इस अधिवक्ता के पास एमएसीटी के केवल १३ प्रकरण है एवं वह विचाराधीन है. नियमानुसार प्रकरण विचाराधीन होने पर अधिवक्ता को नियमानुसार पूर्ण फिस का भुगतान नहीं किये जाने के नियम है. इस बात की जानकारी मिलने पर रवि कुमार ने सूचना के अधिकार के तहत एक आवेदन लगाकर यह जानकारी चाही कि कंपनी के पेनल अधिवक्ता रविन्द्र सिंह छाबड़ा को कौन कौन से प्रकरणों में कितनी फिस का भुगतान किया गया इस संबंध में उन्होंने कंपनी में दिये गये समस्त बीलों की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं इस संबंध में बनाये गये भुगतान वाउचरों की प्रमाणित प्रतिलिपि की की मांग की.

कंपनी की केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी श्रीमती शाईनी कुरियन जिन्होंने मुम्बई में लगभग २०० करोड़ का आर्थिक घोटाल कर कंपनी से त्यागपत्र देकर कंपनी से भागने की योजना बनाई लेकिन इस मामले का पर्दाफाश होने पर उनकी योजना पर पानी फिर गया. इस अधिकारी ने अपने कुटील मस्तिष्क का प्रयोग कर कंपनी के उच्चाधिकारीयों एवं पेनल अधिवक्ता छाबड़ा के बीच चल रहे इस षड़यत्र का पर्दाफाश न हो इस कारण चाही गई जानकारी को थर्ड पार्टी से संबंधीत जानकारी बताया. इस संबंध में उन्होंने अधिवक्ता रविन्द्रसिंह छाबड़ा को पत्र लिखकर उनसे इस बारे में पूछा गया कि आपकी फिस और बील के बारे में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी चाही गई है.जब लोकधन से अधिवक्ता को फिस का भुगतान किया जाता है तो वह जानकारी सूचना के अधिकार के तहत देने से इंकार नहीं किया जा सकता है. इस संबंध में सूचना के अधिकार के तहत दिये गये आवेदन पत्र के साथ केन्द्रीय सूचना आयोग के निर्णय की एक प्रति जिसमें अधिवक्ता को प्रदान की गई फिस की जानकारी देने संबंधी आदेश ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी को दिये थे संलग्न किया था.

श्रीमती शाईनी कुरियन के इस पत्र के जवाब में कंपनी के पेनल अधिवक्ता ने जो जवाब दिया उसका अवलोकन करे.

कंपनी ने जब अधिवक्ता रविन्द्रसिंह छाबडा का पत्र दिनांक-१७.०१.२०११ को कंपनी के रीजनल मेनेजर और सीपीआईओ को लिखा

"With reference to the aforesaid subject matter, you are aware that I am appearing for various officials of the Oriental Insurance Company Limited and assisting the court in the enquiry being conducted by the Magistrate in various Criminal Complaints lodged by Mr. Ravi Potdar. My appearance on behalf of the Officials of OICL is causing displeasure to Mr. Ravi Potdarand hence he has started making personal imputations against me which is apparent from the applications filed by him in the court.

By way of the aforereferred letter, Mr. Ravi Potdar has sought information regarding my bills. The said information is being sought so that he may use the said information to deter me from appearing on behalf of the OICL. By way of this letter, I call upon you not to disclose any information.

The OICL has delivered cases to me under a Fiduciary relationship. No large Public Interest warrants disclosure of any such information. Even otherwise, u/s 129 of the Indian Evidence Act, 1872, information between, the undersigned and the OICL is a confidential communication which can be communicated to any third person.

Besides the aforesaid grounds, if any information relating to the undersigned is disclosed, it is likely to cause unwarranted invasion in my privacy. His application seeking information regarding my bills, therefore, my kindly be rejected."

क्या फ्सि की जानकारी थर्ड पार्टी व वैश्वासीक नातेदारी और इवीडेंस एक्ट १८५७ की धारा-१२९ के तहत आती है.

कंपनी के पेनल अधिवक्ता ने फिस की जानकारी एवं इससे संबधीत कंपनी को दिये गये बील और इस संबध में कंपनी के कार्यालय में बनाये गये भुगतान वाउचरों से सबंधित जानकारी/दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि को वैश्वासीक नातेदारी बताया. जबकी यह जानकारी इस श्रेणी में नहीं आती है वैश्वासिक नातेदारी की परिभाषा जो इंडियन कान्ट्रेक्ट एक्ट की धारा-१६ जिसमें यह स्पष्ट है कि "Fiduciary relation means a relationship of confidence and trust. When a person reposes confidence in the other, it is expected that he will not be betrayed." अर्थात विश्वास एवं भरोसे के बीचका संबंध जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति व्यक्त करता है और आशा करता है कि वह विश्वासघात नहीं करेगा.

अधिवक्ता ने इंडियन इविडेंस एक्ट की धारा-१२९ का भी उल्लेख किया है. धारा-१२९ में यह स्पष्ट किया गया है कि 'कोई भी व्यक्ति किसी गोपनीय संसूचना को, जो उसके और उसके विधि वृतिक सलाहकार के बीच हुई है, न्यायालय को प्रकट करने के लिये विवश नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह अपने को साक्षी के तौर पर पेश न कर दे: ऐसी दशा में किन्हीं भी ऐसी संसूचनाओं को, जिन्हें उस किसी साक्ष्य को स्पष्ट करने के लिए जानना, जो उसने दिया है, न्यायालय को आवश्यक प्रतीत होता है, प्रकट करने के लिये विवश किया जा सकेगा किन्तु किन्हीं भी अन्य संसूचनाओं को नहीं.'

कंपनी के पेनल अधिवक्ता को प्रदान की फिस की जानकारी न तो वैश्वासीक नातेदारी और न ही इवीडेंस एक्ट की धारा-१२९ के तहत आती है. न्यायालय आपराधीक प्रकरण की जाँच दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-२०२ के तहत स्वयं जाँ च कर रहा है. इस जाँच में न्यायालय अधिवक्ता की सहायता नहीं ले सकता है. उपरोक्त सभी आपराधिक मुकदमें में कंपनी आरोपी नहीं है जबकी कंपनी के अधिकारी को व्यक्गित तौर पर उनके द्वारा प्रायोजित आर्थिक घोटालों में लिप्त होने पर आरोपी बनाया गया है. इस मामले में एक आपराधीक षड़यंत्र कर लोकधन हड़पा जा रहा है. इसमें लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट शामिल है इस कारण इसे सूचना के अधिकार के तहत देने से इंकार नहीं किया जा सकता है.